कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान,जयपुर

क्रमांक:– जी.डी.1 / एयर कूलिंग सिस्टम / ए.एम.सी / 2020–21 / दिनांक –

विषय:– वर्ष 2021 हेतु ऐवोपोरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम की अनुरक्षण संविदा हेतु।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) में ऐवोपेरेटिव एयर कुलिंग सिस्टम स्थापित है। जिसके रखरखाव हेतु अवधि 15 अप्रेल 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक के लिए प्रति मशीन उक्त अवधि की दर से निविदायें निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित किये जाते है।

1. स्थापित डक्टिंग मशीनों के फैन मोटर, पम्प की ऑयलिंग व ग्रिसिंग इत्यादि कर चालू करना होगा।
2. अनुरक्षण अवधि में सुपुर्द किये जाने वाले सभी कूलिंग प्लांट की मरम्मत करना एवं आवश्यकतानुसार पार्ट्स बदले जाने पर उसके लिए अलग से कोई मजदूरी देय नही होगी। उक्त कूलिंग मशीनों में उपयोग आने वाले पार्ट्स स्टेण्डर्ड कम्पनी के होने चाहिये तथा सभी पार्टस की दरे कोटेशन मे प्रस्तुत करनी होगी। कोटेशन मे दर्शाये गये सभी पार्टस के नाम के आगे उन पार्टस की स्टेण्डर्ड कम्पनी का नाम भी होना चाहिये। बदले हुए खराब पार्ट्स कार्यालय में जमा करवाने होगें।
3. स्पेयर पार्ट्स की दरें, जो कि फर्म द्वारा निविदा में दर्शायी गयी है, के अनुसार अलग से देय होगी।
4. इस कार्यालय की समस्त मशीनों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं उसमें पानी भरने आदि से संबंधित समस्त कार्य संबंधित फर्म को करने होगें। मशीनों के वाटर टैंक से ओवरफ्लो एवं लिकेज के संबध में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा फर्म इस बात का विशेष ध्यान रखेगी।
5. अनुरक्षण अवधि में कूलिंग मशीनों में आई किसी भी प्रकार की कमी को समय पर ठीक करना होगा तथा इस हेतु आवश्यकता होने पर प्रतिस्थापना की व्यवस्था करनी होगी, फिर भी यदि किसी कारण वश कोई बडी कमी की वजह से 05 घंटे से अधिक समय तक बंद रहती है तो रूपये 300/– प्रतिदिन प्रति मशीन की दर से भुगतान करते समय बिल की राशियों में से पेनल्टी के रूप में काट ली जायेगी।
6. कूलिंग प्लांट के सुचारू संचालन के लिए फर्म को दो इलेक्ट्रीशियन कार्यालय समय में नियमित रूप से उपलब्ध करवाना होगा। किन्ही कारणवश फर्म के इलेक्ट्रीशियन के समय पर उपस्थित नही होने पर बाहर से इलेक्ट्रीशियन बुलवाने पर उसका व्यय भार फर्म को वहन करना होगा जो कि फर्म को किये जाने वाले भुगतान में से काट लिया जायेगा।
7. कूलिंग प्लांट के हनीपेड बदलने की आवश्यकता होने पर उच्च क्वालिटी के हनीपेड उपयोग में लाये जावेगें। लगाने से पूर्व हनीपेड का सेंपल प्रस्तुत करना होगा।

8. संबंधित फर्म की दरे स्वीकृत होने पर कुल संविदा राशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में कार्यालय में जमा करवाना होगा।
9. उक्त जमा धरोहर राशि निर्धारित अवधि की समाप्ति के एक माह बाद तभी वापस देय होगी जब संविदा अवधि पश्चात सारे कूलिंग प्लांट की साफ–सफाई करने के बाद उनको धूल, धूप आदि से संरक्षित करते हुए प्लास्टिक से रैप करके कार्यशील अवस्था में कार्यालय को सम्भलवाया जायेगा।
10. एयर कुलिंग प्लांट का निरीक्षण दिनांक 25.03.2021 तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता है।

इस संबंध में अपनी दरे मोहर बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 26.03.2021 को सांय 3:00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

उपरोक्त संबंध में इस कार्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जावेगा।

वरिष्ठ लेखाधिकारी / जी.डी